न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
अपील सं0 : 02 सन 2024
अनवान :–

1. रामकुमार पुत्र चम्पादेवी पत्नी जोतराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

अपीलान्ट

बनाम

1. मालाराम पुत्र चम्पादेवी पत्नी जोतराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. गुडडी पुत्री चम्पादेवी पत्नी जोतराम जाति मेधवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. ग्राम पंचायत भूकरका जरिये संरपंच ग्राम पंचायत भूकरका तहसील नोहर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 03.06.1989 रोही मौजा भूकरका जिसे ग्राम पंचायत भूकरका द्वारा तस्दीक किया गया को निरस्त करने ।

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता रेस्पो–1

निर्णय दिनांक :– 08/09/2025

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत 75 एल.आर.एक्ट के तहत इस आश्य की पेश की गई है कि अपीलान्ट के नाना जैसाराम पुत्र छीगाराम जाति मेधवंशी निवासी नोहर की गैरखातेदारी भूमि रोही मौजा भुकरका के खसरा न0 215 की 17.06 बीधा खसरा न0 222 की 1.12 बीधा कुल 18.18 बीधा भूमि थी।

अपीलान्ट के नाना जैसाराम के एक मात्र वारिस अपीलान्ट की माता चम्पादेवी हुई जैसाराम की मृत्यू के पश्चात उक्त गैरखातेदारी भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट की माता मु0 चम्पादेवी पुत्र जैसाराम के नाम किया जाना चाहिये था किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बहुत तेज तर्रार होने के कारण उक्त भूमि जो गैरखातेदारी का नामान्तकरण अपने अकेले के नाम राजस्व अधिकारीयों व सरपंच ग्राम पंचायत भूकरका से मिल कर अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 03.06.1989 को सरपंच ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा कर अपीलान्ट संख्या 2 के हकों का हनन किया गया है।

ग्राम पंचायत का नामान्तकरण दर्ज करने का निर्णय एक पक्षीय बिना किसी पक्षकार को सुने ही पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है अपीलकृत नामान्तकरण में दर्ज भूमि की कोई वसीयत नही है फर्जी अंकन किया गया है क्योकि गेरखातेदारी भूमि की वसीयत नियमानुसार नही की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति गैरखातेदारी की वसीयत कर भी देता है तो वह शुन्य है गैरखातेदारी भूमि विरास्तन से ही दर्ज होगी इसलिये अपीलाकृत भूमि मालिक व उताराधिकारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस की माता मु0 चम्पादेवी एक मात्र वारिस थी

जैसाराम की एम मात्र वारिस अपीलान्ट की माता चम्पादेवी थी जिसकी मृत्यू के पश्चात उसके वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ,2 हुए इसलिये अपीलकृत आदेश अपास्त कर अपीलान्ट वारिसान नामान्तकरण दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति है जिसने राजस्व अधिकारीयों से मिली भगत करके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने का [illegible] जिससे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ,2 के पिता जोतराम का नाम [illegible] वल्दीयत दर्ज करवा कर फर्जकारी की है इसीप्रकार नामान्तकरण पंचायत से [illegible] कर दर्ज करवाया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:55 IST
Reason: SelfAttested

वाद व अपीलकृत भूमि अपीलान्ट व उसके भाई बहन का लगातार कब्जा काश्त में चला आ रहा है सयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है अब फसल कटने के पश्चात

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपीलान्ट ने कहा कि आगे खेत में नही घुसना प्रार्थी ने कारण पुछा तो बताया की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाली है तथा पिता के नाम की जगह नाना का नाम लिखा लिया है तेरा कोई हक हिस्सा नही है तब अपीलान्ट नोहर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर समस्त जानकारी हासिल कर अपीलाकृत आदेश दिनांक 22.04.2024 की सत्यप्रति प्राप्त की अपीलान्ट मजदुरी पेशा व्यक्ति है तथा चिनाई का कार्य में मजदुरी कार्य करता है उसे दिनांक 15.04.2024 से पूर्व उक्त भूमि के बारे में कभी कोई ज्ञान नही रहा है अपील अन्दर मियाद न होने के कारण ज्ञान से अपील अन्दर मियाद है इसलिये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है दिनांक 15.04.2024 से पहले कभी कोई विवाद भूमि का नही रहा सयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे थे धमकी देने के पश्चात ही उसके द्वारा की गयी सभी फर्जकारी का ज्ञान हुआ है तब तुरन्त कार्यवाही की जाकर अपील प्रस्तुत कर रहा है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है अपील ज्ञान से अन्दर स्वीकार कर मियाद की छुट प्रदान करते हुए अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 03.06.1989 रोही मौजा भुकरका को खाजिर किया जाकर वर्तमान रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट का फर्जी नामान्तकरण मालाराम पुत्र जैसाराम कलमजन कर व इन्तकाल संख्या 352 निरस्त कर विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश फरमावे।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये एव अपीलान्ट के अपील के संलग्न मियाद प्रार्थना पत्र दफा 5 का जबाब पेश किया गया।

मियाद प्रार्थना पत्र की मदो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की जिस प्रकार से तहरीर की गई है मनगढत एव बेबुनियाद है उक्त ईन्तकाल का अपीलान्ट को शुरू से ही ज्ञान था अपीलान्ट का यह कथन कि उसे इन्तकाल का इल्म 15.04.2024 को हुआ सरासर गलत है आदेश एक पक्षीय और बिना कोई नोटिस जारी किये आदि –आदि अपील में मेरिट पर सुनवाई का विषय हे मियाद बिन्दु का निर्णय करते वक्त न्यायालय के लिये शेष वाकायत सारहीन है अपीलान्ट ग्रामीण व्यक्ति है झुठा व न्यायालय के सामने दया का पात्र बनने के लिये अंकित किया गया है अपीलान्ट नोहर वार्ड संख्या 4 का स्थायी निवासी है व अपीलान्ट का कभी भी भूमि कब्जा काश्त में नही रही है उक्त भूमि आरम्भ से ही रेस्पोडेन्ट की ही काश्त रही है।

अपीलान्ट ने जो अपील पेश की है वह मेला फाईड है और अपीलान्ट क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है अपील स्पष्ट रूप से काल बाधित है मियाद बिन्दु पर ही खारीज योग्य है वाकी वाकात वरवक्त बहस निवेदन किये जावेगे। अतः दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जबाब पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट काल बाधित सुमार सुनवाई जाकर खारजी की जावे।

मियाद प्रार्थना 5 का जबाब शामिल मिसल किया गया जाकर अपील पर बहस सुनी गई

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने लिखित में बहस इस प्रकार पेश की गई जिसका संक्षिप्त सार निम्नप्रकार से है :–

अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत भूकरका तहसील नोहर के निर्णय जो रोही मौजा भूकरका के नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 03.06.1989 के विरूद्व पेश की है रोही मौजा भूकरका के खसरा न0 215 की 17.06 बीधा ,खसरा न0 222 की 1.12 बीधा कुल 18.18 बीधा भूमि अपीलान्ट के नाना जैसाराम की गैरखातेदारी भूमि थी जैसाराम की एक मात्र वारिस अपीलान्ट की माता चाम्पादेवी पुत्री जेसाराम थी जिसके हक में नामान्तकरण किया जाना चाहिये था दिनांक 13.06.1989 को उक्त गेरखातेदारी भूमि का नामान्तकरण संख्या 352 संरपच ग्राम पंचायत से विधि विरूद्व तस्दीक करवाया गया है क्योंकि अपीलान्ट उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा का गैरखातेदार काश्तकार था तथा 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्टस ... 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का था जिन्हे सुनवाई का अवसर ही नही दिया ... बिना साक्ष्य के पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:55 IST
Reason: SelfAttested

गैरखातेदारी भूमि की वसीयत विधि अनुसार नही की जा सकती है जो अधिनियम सन 1955 की धारा 39 के अनुसार गैरखातेदारी भूमि की वसीयत नही की जा सकती है जिसको नजर अन्दाज करके वसीयत का नामान्तकरण दर्ज किया है जो विधि विरूद्व है

Rahul
अपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपीलान्ट न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की अपील /टीए/4227/2005 श्रीगंगानगर का अनवानी निर्णय रामकिशन बनाम आईदान आदि आर आर टी – 2014 (1) पेज 209 से स्पष्ट है कि गैरखातेदारी की वसीयत नही की जा सकती है जिसमे स्पष्ट है तथा वाद तनकी हाल बनायी जाकर पैरा संख्या 7 में तनकी दर्ज है तथा निर्णय बिन्दु संख्या 1 में दर्ज है जिससे स्पष्ट है गैरखातेदारी की वसीयत विधि विरूद्व है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय डीएनजे 2021(2) आरएलडब्ल्यू) पेज 934 बाधासिह बनाम चीना आदि पेरा संख्या 7 में स्पष्ट निर्णित है कि गैरखातेदारी की वसीयत के जरिये हस्तान्तरण नही किया जा सकता है स्पष्ट है।

मियाद के बिन्दु पर निवेदन किया की अपीलाकृत नामान्तकरण अपीलान्ट व गुडडी को बिना नोटिस जारी किये एक पक्षीय आदेश है अपीलान्ट को दिनांक 15.04.2024 को अपीलान्ट को काश्त करने से रोका तब ज्ञान हुआ है इस दिनांक से पूर्व सदैव लगातार निर्वहन रूप से काश्त करते चले आ रहे है तब रेस्पोडेन्ट ने बताया कि नामान्तकरण दर्ज कराया है तब ज्ञान हुआ है तब नकल लेकर बिना देरी के अपील प्रस्तुत की गई है दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है ग्रामीण व्यक्ति है जिसका हक व हिस्सा था इसलिये मियाद की छुपाने का अधिकारी ळै क्योंकि अपीलान्ट का वाद भूमि में 1/3 हिस्सा था अपीलान्ट की माता चम्पादेवी ही जैसाराम की एक मात्र वारिस थी तथा गैरखातेदारी विरास्तन दर्ज होनी चाहिये थी और चम्पादेवी के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट वारिस है जिनके हकों का हनन हुआ है इसलिये मियाद की छुट पाने के अधिकारी है अपीलान्ट डीएनजे 2024(1)पेज 767 राधाकिशन बनाम कौशल्या जिसमें 30 वर्ष बाद अपील पेश हुई वारिसान मानते हुए मियाद सम्बधी की छुट दी गयी है इसी प्रकार डीएनजे 2024(1) पेज 731 गोविन्द बनाम महेन्द्र कुमार जिसमें 50 वर्ष पश्चात नामान्तकरण अपील में मियाद की छुट प्रदान की गयी तथा निर्णय पारित किया गया है वारिसान व उतराधिकारीयों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये ।

इन्तकाल संख्या 352 में स्पष्ट गैरखातेदारी का दर्ज है तथाकथित वसीयत 23.06.1989 में वादी भूमि का कोई जिक्र ही नही है जब वसीयत में भूमि दर्ज ही नही है तो गैरखातेदारी का नामान्तकरण दर्ज नही हो सकता है ना ही गैरखातेदारी भूमि की वसीयत किसी पंजीयन कार्यालय में तस्दीक नही हो सकती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रोही मौजा भूकरका के नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 03.06.1989 का निरस्त फरमावे।

रेस्पोडेट संख्या 1 के अधिवक्ता के द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसका संक्षिप्त में सार निम्नप्रकार से है :–

अपील में वर्णित भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाना जैसाराम पुत्र छोगराम जाति मेघवाल निवासी नोहर की गैरखातेदारी व वर्तमान में खातेदारी भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार दर्ज है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बाल्य अवस्था में ही अपने नाना जैसाराम के पास अपनी माता चम्पादेवी की अनुमति से रह रहा था रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाना जैसारा मे अपनी स्वैच्छा से दिनांक 23.06.1986 को अपनी गैरखातेदारी भूमि रोही मौजा भूकरका के खसरा न0 215 की 17.06 बीधा व खसरा न0 222 की 1.12 बीधा कुल 18.18 बीधा भूमि की वसीयत अपने स्वेच्छा से अपने दोहिते मालाराम पुत्र जोतराम के नाम कर दी और इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम उक्त भूमि का इन्तकाल संख्या 352 दिनांक 03.06.1989 को तस्दीक किया गया है।

उक्त इन्तकाल कि अपील अपीलान्ट के द्वारा लगभग 35 वर्ष बाद पेश की गई है जो ग्रोसडेली कि परिभाषा में आता है और अपीलान्ट ने अपने मियाद अधिनियम दफा 5 मियाद में जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें किसी युक्ति युक्त कारण का उल्लेख नही किया गया है अपीलान्ट ने केवल यह कह देना कि अपीलान्ट ग्रामीण कृषि पेशा व्यक्ति है और अपील इन्त्ल से अन्दर मियाद है डिले का [illegible] है अपीलान्ट को चाहिये था कि वह यदि कोई स्पष्ट कारण उसके पास था तो स्पष्ट [illegible] किया गया है अतः प्रार्थना पत्र सदभावनी व स्पष्ट नही होने [illegible] है।

अपील में वर्णित वसीयत जो रेस्पोडेन्ट /प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 23.06.1986 को तस्दीक की गई है वह प्रार्थी के नाना जैसाराम कि मृत्यू दिनांक 05.03.1988 को एव प्रार्थी की नानी रामीदेवी कि मृत्यू दिनांक 06.03.1994 को हुई एवं प्रार्थी कि माता चम्पादेवी लगभग 15 वर्ष पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:55 IST
Reason: SelfAttested

फोत हुई इनत थ्यों से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अपीलान्ट को जैसाराम नाना, रामीदेवी नानी , चम्पादेवी माता अपील वर्णित सम्पति का पूर्णरूप से ज्ञान होना था और विधि भी इस बात प्रत्याशा करती है कि वे विधिक स्थिति से अवगत होगे केवल मात्र इल्म से अन्दर मियाद का आधार लेकर जबकि विलम्ब का समुचित व प्रर्याप्त स्पष्टीकरण न ही दिया गया तो न्यायालय को विलम्ब सक्षा से इन्कार कर देना चाहिये।

माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में विभिन्न सिद्वान्त प्रतिपारित किये गये है जो निम्नप्रकार से है।

1. स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम रिखबचन्द एआईआर 1996 पेज 313 में विलम्ब क्षमा किये जाने का बिन्दु विचारणीय था विलम्ब क्षमा किये जाने से माना किया जबकि स्पष्टीकरण विलम्ब हो और यह विलम्ब उन लोगो के भाग पर हो जिनसे यह प्रत्याशा की जाती है।
2. इलेक्ट्रकलइन्ट्रील कारपोरेशन बनाम पीएनबी बैक – एआईआर 1979 सेक्(1) एस सी– विलम्ब क्षमा किये जाने की प्रार्थना पत्र की गई होने वाले विलम्ब को स्पष्ट नही किया गया ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को धारा 5 की शक्तियों का प्रयोन नही किया जाना चाहिये
3. पी.के. रामचन्द्र बनमा सरकार बैक ऑफ केरल सुप्रीम कोट एससी– 2276 एआईआर 1988 एससी 2276– विलम्ब क्षमा किये जाने के सम्बध में जो कारण दर्शाया गया था वह समुचित नही था कारण को देखने मात्र से यह दर्शित होता था कि विलम्ब का समुचित व प्रर्याप्त स्पष्टीकरण नही दिया गया था विलम्ब क्षमा करने से इन्कार किया
4. अजीत बनाम स्टेट बैक आफ गुजराज एआईआर 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 733 – विहित अवधि के उपरान्त कार्यवाही किये जाने का मामला था ऐसी कोई परिस्थिति था घटना नही बताई गई जो कि परिसीमा के अवसान के बाद कार्यवाही का समुचित कारण दर्शाति हो विलम्ब क्षमा करने से इन्कार किया।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त पर मनन किया गया ।

जैसाराम पुत्र छीगाराम जाति मेधवंशी निवासी नोहर की गैरखातेदारी भूमि रोही मौजा भुकरका के खसरा न0 215 की 17.06 बीधा खसरा न0 222 की 1.12 बीघा कुल 18.18 बीधा भूमि थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाना जैसाराम ने अपनी स्वेच्छा से दिनांक 23.06.1989 को गैरखातेदारी भूमि की वसीयत अपने दोहते मालाराम पुत्र जोतराम के पक्ष में की गई थी मालाराम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम वसीयत अनुसार नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 03.06.1989 ग्राम पंचायत भूकरका के द्वारा दर्ज किया गया जिसके विरूद्व यह अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की गई है।

सर्वप्रथम अपीलान्ट के द्वारा अपील के संलग्न किये गये मियाद प्रार्थना पत्र दफा 5 पर विवेचन किया जाना विधि सम्मत है अपीलान्ट का कथन है कि उसी अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 352 का ज्ञान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा भूमि काश्त नही करने एव भूमि अपने नाम दर्ज करने का कथन करने पर हुआ था जिस पर शीध्र यह अपील प्रस्तुत की गई है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 352 का ज्ञान बहुत पहले से ही था तथा अपीलान्ट ने कभी भी भूमि को काश्त नही किया गया है अपीलाधीन आदेश का ज्ञान होते हुए भी 30 वर्षो के बाद अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपने मियाद में अपील देरीना से पेश करने का कोई सन्तोषजनक कारण भी व्यक्त नही किया गया मात्र ग्रामीण व्यक्ति के आधार पर अन्दर मियाद नही मानी जा सकती है।

हमने उभयपक्षों के कथन न्यायकि दृष्टान्तों पर गहनता से विवेचन किया गया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अपने नाना जैसाराम की दिनांक 23.06.1986 की गैरखातेदारी भूमि की वसीयत का नामान्तकरण निष्पादित होने ... के बाद ही अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है नामान्तकरण ... जो जैसाराम की वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक किया गया था से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके की नामान्तकरण संख्या 352 दर्ज करने से पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया हो एक पक्षिय आदेश तौर से नामान्तकरण दर्ज किया गया है जिससे अपीलान्ट के विधिक अधिकारों प्रभावित होते है अथवा नही इस तथ्य का निर्धारण किया जाना उचित /विधि सम्मत है अपील मियाद बाहर प्रस्तुत करने के सम्बध में विभिन्न उच्चतर न्यायालयों के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये है जिसके अनुसार ऐसे प्रकरण जहॉ किसी पक्षकार द्वारा अपील प्रस्तुत करने में सदभाविक देरी प्रतीत होती हो तथा पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में विनिश्चयन होना शेष रहता हो एवं कानुनी बिन्दु निहित हो वहा न्यायालयों को विलब के संबंध में नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अग्रसर होना चाहिये

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका आधार यह है कि नामान्तकरण संख्या 352 खोले जाने के समय समस्व विधिक वारिसान व उतराधिकारियों को सुनवाई साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर प्रदान नही किया गया है एक पक्षीय तौर से नामान्तकरण संख्या 352 दर्ज एव तस्दीक किया गया है जिसकी जानकारी नही होना एव जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत करने का कथन है तथा नामान्तकरण संख्या 352 में विधिक कानुनी बिन्दु भी निहित है जिस पर मियाद अधिनियम के प्रावधानों में शिथिलता की जानी उचित है।

प्रस्तुत प्रकरण में कानुनी बिन्दु निहित होने एव पक्षकारों के हकों का निर्धारण होना शेष है एक पक्षीय तौर से नामान्तकरण संख्या 352 दर्ज करने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मियाद के बिन्दु पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आपत्ति को खारिज किया जाना विधि सम्मत मानते हुए अपीलान्ट का मियाद प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार कर देरीना को माफ/क्षम्य किया जाकर अपील का गुणावगुण पर विवेचन निर्णय किया जाता है।

अपीलान्ट का कथन है कि वाद भूमि उसके नाना जैसाराम के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज थी जिसकी दिनांक 23.06.1986 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत करवाई गई थी जो शुन्य है जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योकि गैरखातेदारी भूमि की वसीयत नही की जा सकती है ना ही गैरखातेदारी भूमि की गई वसीयत के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त किये जा सकते है नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 03.06.1989 गैरखातेदारी भूमि का दर्ज व तस्दीक किया गया है जो अपीलान्ट को बिना सुनवाई के एक पक्षीय तौर पर किया गया है जो स्वत ही निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाना जैसाराम पुत्र छोगराम जाति मेधवाल निवासी नोहर की गैरखातेदारी व वर्तमान में खातेदारी भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार दर्ज है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बाल्य अवस्था में ही अपने नाना जैसाराम के पास अपनी माता चम्पादेवी की अनुमति से रह रहा था रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाना जैसारा मे अपनी स्वैच्छा से दिनांक 23.06.1986 को अपनी गैरखातेदारी भूमि रोही मौजा भूकरका के खसरा न0 215 की 17.06 बीधा व खसरा न0 222 की 1.12 बीधा कुल 18.18 बीधा भूमि की वसीयत अपने स्वेच्छा से अपने दोहिते मालाराम पुत्र जोतराम के नाम कर दी और इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम उक्त भूमि का इन्तकाल संख्या 352 दिनांक 03.06.1989 को तस्दीक किया गया है जो विधि सम्मत है जो वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अपीलान्ट किसी प्रकार का हक हिस्सा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में पाने का अधिकारी नही है अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्षों के कथनों को ध्यान पूर्वक सुना व समझा गया

रोही मोजा भूकरका के खसरा न0 215 की 17.06 बीधा व खसरा न0 222 की 1.12 बीधा कुल 18.18 बीधा भूमि अपीलान्ट /रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ,2 के नाना जैसाराम के नाम से बतौर गेरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी [illegible] स्वीकार करते है जैसाराम ने दिनांक 23.06.1986 को अपनी उक्त गैरखातेदारी भूमि की [illegible] मालाराम के नाम दिनांक 23.06.1986 को करवाई गई थी [illegible] पर जैसाराम की वसीयत के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाई गई थी अपीलान्ट ने यह अपील यह कथन करते हुए की गई है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 352 दर्ज करते समय सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा गैरखातेदारी भूमि की वसीयत नही की जा सकती थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 की के प्रावधानों के अनुसार गैरखातेदारी भूमि की वसीयत नही की जा सकती और गैरखातेदारी वसीयत के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है विधि में वसीयत करने का अधिकार केवल खातेदार काश्तकार को है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 की धारा 39 ,40 ,41 में काश्तकारों के अधिकारों एव हस्तान्तरण करने के अधिकारों को विवेचन किया गया है राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 में खातेदार कृषक व गैर खातेदार कृषक के अधिकारों में अन्तर का विवेचन स्पष्ट तौर से किया गया है उक्त अधिनियम की धारा 39 में केवल खातेदार काश्तकार को ही वसीयत करने का अधिकार प्राप्त है गैरखातेदार काश्तकार को वसीयत करने का अधिकार प्राप्त नही है अर्थात अधिनियम की धारा 39 के अनुसार गैरखातेदार वसीयत करने का अधिकार नही रखता है यदि वसीयत की जाती है तो उसके आधार पर वसीयत ग्रहिता को कोई अधिकार प्राप्त नही होते हैं गैरखातेदारी भूमि की वसीयत शुन्य है।

हस्तगत प्रकरण में जैसाराम ने अपने दोहते रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मालाराम के पक्ष में दिनांक 23.06.1986 को वसीयत करवाई गई थी वसीयत करवाने के समय जेसाराम स्वय गैरखातेदार काश्तकार था तथा नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 03.06.1989 दर्ज करते समय भी जैसाराम गैरखातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज था एवं गैरखातेदारी भूमि को ही वसीयत के आधार पर मालाराम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तकरण संख्या 352 बतौर गैरखातेदार ही दर्ज किया गया था जो राजस्थान काश्तकार अधिनियम सन 1955 की धारा 39 के प्रावधानों के विपरित था।

जैसाराम के द्वारा गैरखातेदारी भूमि की वसीयत की गई जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भी गैरखातेदार नामान्तकरण दर्ज किया गया तथा नामान्तकरण संख्या 352 दर्ज करने से पूर्व जैसाराम के विधिक वारिसान को किसी प्रकार का साक्ष्य सुनवाई का अवसर नही दिया गया एक पक्षीय तौर पर विधि विरूद्व रूप से नामान्तकरण संख्या 352 दर्ज किया गया है जो न्यायोचित /विधि विरूद्व है किसी भी प्रकार का निर्णय करने से पूर्व सम्बधित पक्षकारों को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा भुकरका के खसरा न0 215 की 17.06 बीधा व खसरा न0 222 की 1.12 बीधा कुल 18.18 बीधा भूमि जैसाराम के नाम बतौर गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसने अपनी गैरखातेदारी भूमि की वसीयत मालाराम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में करवाई गई और गैरखातेदारी भूमि का ही नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 03.06.1989 बिना विधिक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये गैरखातेदारी का ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 की धारा 39 के प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः साक्ष्य सबुतों एवं न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन निर्णय /नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 03.06.1989 रोही मौजा भूकरका निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि जैसाराम के विधिक वारिसान के नाम नियमानुसार विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही शीध्र की जावे निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/09/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:55 IST
Reason: SelfAttested